न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 55/2014

अपीलान्ट

1 दरिया कंवर पत्नी माधोसिंह
2 उम्मेदसिंह पुत्र माधोसिंह
3 हनवन्तसिंह पुत्र माधोसिंह
4 श्रवणसिंह पुत्र माधोसिंह
5 महावीरसिंह पुत्र माधोसिंह
जातिगण राजपूत निवासीगण जादड़ी तहसील बाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

मृतक पेपसिंह पुत्र धोकलसिंह के का0मु0
1 महेन्द्रसिंह पुत्र पेपसिंह
2 अमरसिंह पुत्र पेपसिंह
3 जयप्रकाश कंवर पुत्री पेपसिंह
4 कंचन कंवर पुत्री पेपसिंह
5 प्रमिला कंवर पुत्री पेपसिंह
6 मोहन कंवर पुत्री पेपसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण श्रीसेला तहसील बाली जिला पाली
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.12(3)राज./राजस्व/2014/4114 दिनांक 04.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा जादरी के खसरा नम्बर 50 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस विधिवत अपीलाण्ट को तामील ही नहीं हुए, इसके बावजूद अपीलाण्ट्स की तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। इस दौरान अपीलाण्ट महावीरसिंह ने अन्यथा जानकारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना बताया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार बाली द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से रास्ता प्राप्त किया है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवामन हेतु खसरा नम्बर 94 व 95 में से रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान् को नोटिस ही जारी नहीं किया तथा बाले बाले कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट संख्या 1 वृद्ध महिला है, जो निरक्षण एवं अनपढ है, उससे उचित रिति से तामील नहीं करवाया गया है। सम्मन की तामील के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 18 तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू मैन्यूअल पार्ट – 2 के नियम 178 के अनुसरण में तामील की कार्यवाही की जानी आज्ञापक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इन कानूनों को दरकिनार करते हुए विधि विरूद्ध रूप से तामील करवाई गई है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 94 व 95 के अन्दर से कदीमी रूप से उपयोग करते है, चूंकि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में नये मार्ग का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नया मार्ग प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट संख्या 1 से तामील हुए है, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। उक्त तामील के आधार पर रेस्पोडेन्ट महावीरसिंह न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया। इसके पश्चात तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है, जिसमें वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। उक्त आदेश की पालना भी हो चुकी है। अपीलाण्ट जिस भूमि में रास्ता होना बताते है, वहां कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष महावीरसिंह द्वारा यह उज्र किया कि पेपसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा का0मु0 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई है, इस कारण प्रार्थना पत्र अबेट किया जावे। चूंकि धारा 251ए के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यवाही करने के प्रावधान है तथा विधि अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित माना है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिवत जांच कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए रास्ता प्रदान कराने का निर्णय किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 980 तथा आर0आर0टी0 2016 (2) में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जादरी के खसरा नम्बर 50 रकबा 4.40 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि में आवागमन हेतु दरियाव कुंवर पत्नी माधोसिंह, उम्मेदसिंह, हनवन्तसिंह, श्रवणसिंह, महावीरसिंह पि0 माधोसिंह जाति राजपूत की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 42 रकबा 3.64 हैक्टेयर में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार बाली से मौका निरीक्षण प्रतिवेदन तलब करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में समस्त अप्रार्थीगण को जो नोटिस जारी किये गये, वे पृथक पृथक रूप से तामील हेतु भिजवाये गये, उक्त समस्त नोटिसेज़ अपीलाण्ट संख्या 1 द्वारा बहैसियत स्वयं तथा अपीलाण्ट संख्या 2 से 5 की माता के तौर पर तामील किये गये है, जो कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य होने से सम्यक तामील की श्रेणी में आने से तामील माने गए। इसके पश्चात दिनांक 19.11.2012 को अपीलाण्ट संख्या 5

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

महावीरसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 94 व 95 में से कदीम से रास्ता गुजर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया। प्रकरण में सिलसिलेवार जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, समस्त जांच रिपोर्टो में आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। जिस भूमि में से अपीलाण्ट वैकल्पिक मार्ग होना बताते है, वह अन्य व्यक्तियों की खातेदारी भूमि है तथा तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12(3)राज./राजस्व/2014/4114 दिनांक 04.08.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली